यायालय सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा (राज0)

मि0नं0 5/2016 | तारीख दायरा 01.03.2016 | तारीख फैसला 12.06.2018

पीठासीन अधिकारी– संजीव कुमार शर्मा (आर.ए.एस.)

राजस्व लोक अदालत केम्प लक्ष्मीपुरा

उनवान

1– देवलाल पुत्र मॉगीलाल जाति माली निवासी नीमोदा तह0 पीपल्दा जिला कोटा
2– जानकीबाई पुत्री मॉगीलाल जाति माली निवासी नीमोदा तह0 पीपल्दा जिला कोटा

वादीगण

बनाम

1– कान्ति पुत्री तेज्या जाति माली निवासी नीमोदा तह0 पीपल्दा जिला कोटा
2– गीता पुत्री तेज्या जाति माली निवासी नीमोदा तह0 पीपल्दा जिला कोटा
3– शान्ति पुत्री तेज्या जाति माली निवासी नीमोदा तह0 पीपल्दा जिला कोटा
4– लटूरी पुत्री तेज्या जाति माली निवासी नीमोदा तह0 पीपल्दा जिला कोटा
5– मधु पुत्री तेज्या जाति माली निवासी नीमोदा तह0 पीपल्दा जिला कोटा
6– छोटा पुत्री तेज्या जाति माली निवासी नीमोदा तह0 पीपल्दा जिला कोटा
7– देवीलाल पुत्र माधो जाति माली निवासी नीमोदा (मृतक) जरिये कायम मुकामानः–
7/1 रेखा पुत्री देवीलाल जाति माली निवासी नीमोदा
7/2 शिवराज पुत्र देवीलाल जाति माली निवासी नीमोदा
7/3 आशा पुत्री देवीलाल जाति माली निवासी नीमोदा
7/4 मनभर पुत्री देवीलाल जाति माली निवासी नीमोदा
7/5 द्वारिक्याबाई पुत्री देवीलाल जाति माली निवासी नीमोदा
8– सुशीला पुत्री माधो जाति माली निवासी नीमोदा तहसील पीपल्दा
9– सीताबाई बेवा माधो जाति माली निवासी नीमोदा तहसील पीपल्दा
10– लटूरीबाई पत्नि हेमराज जाति माली निवासी झाडौल तह0 पीपल्दा
11– देवीलाल पुत्र कालू जाति माली निवासी नीमोदा तह0 पीपल्दा
12– चन्द्रकला बिन्दु पुत्री कालू जाति माली निवासी नीमोदा तह0 पीपल्दा
निवासीगण बिनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)
13– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अनतर्गत धारा 53, 88, 89, 188 आर.टी. एक्ट

निर्णय

वादीगण ने वाद पत्र विरूद्व प्रतिवादीगण के इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम नीमोदा पटवार क्षैत्र लक्ष्मीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 खाता सं. नई 8 पुरानी 26 में खसरा नम्बर 240 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 241 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 244 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 246 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 247 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 248 रकबा 0.11 है0, खसरा नमबर 249 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 537 रकबा 0.93 है0, कुल किता 9 रकबा 2.18 हैक्टर भूमि स्थित है जिसे आगे वाद पत्र में विवादित भूमि कहा गया है।

यह कि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 9 एक ही कुटुम्ब के सदस्य है। जिनका सजरा निम्न है:–

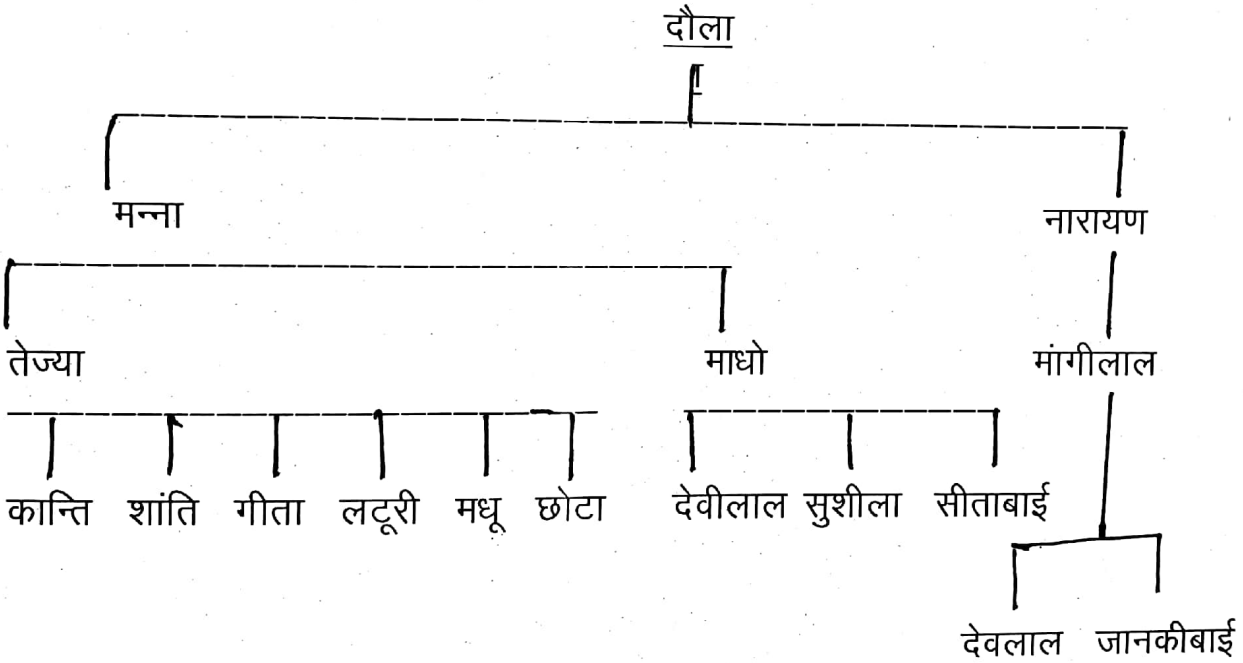

यह कि विवादित भूमि पैतृक संपत्ति है जिसके मूल खातेदार श्री दौला थे। उक्त भूमि प्रथम बन्दोबस्त से पूर्व सम्वत 1982 की जमाबन्दी में नारायण , मन्ना बेटा दौला की खातेदारी में दर्ज है। बन्दोबस्त संक्रिया सम्वत 2015 से 2024 के दौरान बन्दोबस्त अधिकारियों द्वारा त्रुटिपूर्ण तरीके से मन्ना, नारायण पिता दौला हिस्सा 1/2 व तेज्या व माधो पिता मन्ना हिस्सा 1/2 दर्ज कर दिया गया जो कि सर्वथा अवैध एवं प्राधिकार विहिन है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

Scanned by CamScanner

यह कि बन्दोबस्त संक्रिया 2041 से 2060 के द्वारा उक्त त्रुटि दोहराते हुये अवैध रूप से विवादित भूमि तेज्या , माधो, कालू पुत्र मन्ना , मांग्या पुत्र नारायण हिस्सा 1/2 तेज्या ,माधो पुत्र मन्ना हिस्सा 1/2 दर्ज कर दिया गया।

यह कि वस्तुतः कालू मन्ना का पुत्र नहीं है। अतः प्रतिवादी संख्या 11 व 12 वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 9 के परिवार के सदस्य नही है। विवादित भूमि से प्रतिवादी संख्या 11 व 12 का कोई संबंध अथवा सरोकार नही है। विवादित भूमि से प्रतिवादी संख्या 11 व 12 का नाम विलोपित किया जाने योग्य है।

यह कि प्रतिवादी क्रम 1,2,3,4,5,6 के पिता स्व0 तेज्या द्वारा उनके सम्पूर्ण 1/4 हिस्से की भूमि प्रतिवादी क्रम 10 को हस्तानान्तरित की जा चुकी है। फलस्वरूप विवादित भूमि से प्रतिवादी क्रम 1,2,3,4,5,6 का नाम विलोपित किया जाने योग्य है।

यह कि विवादित भूमि में वादीगण के पितामह नारायण का 1/2 हिस्सा निहित था। उनके देहावसान के उपरान्त वादीगण के पिता मांगीलाल विवादित भूमि के 1/2 हिस्से के काबिज खातेदार कृषक हो गये तथा मांगीलाल के देहावसान के उपरान्त वादीगण विवादित भूमि के 1/2 हिस्से के काबिज खातेदार कृषक है। वादीगण अपने निहित 1/2 हिस्से की भूमि खातेदारी की घोषणा करवा कर पृथक से बंटवारा करवाने का कानूनी अधिकारी है।

यह कि वादीगण विवादित भूमि में अपने 1/2 हिस्से की भूमि पर शांति पूर्वक काबिज काश्त है किन्तु राजस्व रिकार्ड में त्रुटिपूर्ण अंकन होने से वादीगण को राजस्व रिर्काड में 1/2 हिस्से की घोषणा करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी क्रम 13 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

अतः वादीगण के पक्ष में विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न आशय की सादर डिक्री फरमायी जावे।

(अ) कि वादीगण को वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित विवादित भूमि का 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर वादीगण के हिस्से में प्राप्त भूमि का पृथक से बंटवारा किया जाकर पृथक से लगान कायम किया जावे।

(ब) कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित विवादित भूमि पर से प्रतिवादी क्रम 1,2,3,4,5,6 व प्रतिवादी क्रम 11 व 12 का नाम विलोपित किया जाकर प्रतिवादी क्रम 7,8,9 एवंम 10 के 1/4 –1/4 हिस्से की भूमि का पृथक से बंटवारा किया जाकर पृथक से लगान कायम किया जावे।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी वादीगण के हितार्थ हो जारी की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प लक्ष्मीपुरा में प्रस्तुत है। प्रकरण का गुणावगुण एवं लोक अदालत की भावना से केम्प लक्ष्मीपुरा में अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण को केम्प लक्ष्मीपुरा में उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किया गया। प्रकरण में दोराने केम्प समस्त प्रतिवादीगण उपस्थित है जिनके पत्रावली की आर्डशीट पर हस्ताक्षर लिये गये। उपस्थित सभी प्रतिवादीगण ने त्रुटिपूर्ण अंकन होना स्वीकार किया राजीनामा प्रस्तुत किया गण एवं कथन किया कि अब पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। प्रतिवादी क्रम 7 देवीलाल पुत्र माधो की मृत्यु हो चुकी है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र पत्रावली में सलंग्न है। एवं मृतक देवीलाल के वारीसान के कायम मुकाम बनाये गये , वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा का पत्रावली में संलग्न है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण ने लोक अदालत में कथन किया है कि तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के द्वारा विवादित आराजी में अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी क्रम 10 को हस्तांतरित किया जाना स्वीकार किया है। इनका नाम विविलोपित किये जाने में सहमति के हस्ताक्षर किये गये है। वादीगण वर्तमान में भी विवादित आराजी पर अपने निहित 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है। जिसे प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया है। अतः प्रकरण को लोक अदालत की भावना एवं गुणावगुण के आधार पर निष्पादित किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण में ग्राम पंचायत लक्ष्मीपरा से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के वारिसान के प्रमाण पत्र लिये गये। परिणाम स्वरूप प्रकरण में हम पाते है कि मुताबिक सजरा वादीगण का विवादित आराजी में 1/2 हिस्सा निहित है। अतः वादीगण को विवादित आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार होने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है कि ग्राम नीमोदा पटवार क्षैत्र लक्ष्मीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 खाता सं. नई 8 पुरानी 26 में खसरा नम्बर 240 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 241 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 244 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 246 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 247 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 248 रकबा 0.11 है0, खसरा नमबर 249 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 537 रकबा 0.93 है0, कुल किता 9 रकबा 2.18 हैक्टर भूमि में वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। एवं प्रतिवादी क्रम 1,2,3,4,5,6, व प्रतिवादी क्रम 11 व 12 का नाम विलोपित किये जावे तथा विवादित आराजी में प्रतिवादी क्रम 7 के वारिसान रेखा, शिवराज, आशा, मनभर पिस0 देवीलाल एवं द्वारिक्याबाई पत्नी देवीलाल तथा प्रतिवादी क्रम 8, 9, व 10 को 1/4–1/4 हिस्से की भूमि का पृथक खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प लक्ष्मीपुरा में मजमें आम में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

(संजीव कुमार शर्मा)
सहायक कलेक्टर
इटावा

Scanned by CamScanner